24 जुलाई से रोजगार मेला सप्ताह होगा शुरू : 700 से अधिक रिक्तियों पर होगी भर्ती, 20 तक पोर्टल में करना होगा पंजीयन

- तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पद शामिल, रायगढ़ मितान पोर्टल में देख सकते हैं वैकेंसी
- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर रोजगार विभाग आयोजित कर रहा रोजगार मेला सप्ताह

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोडऩे के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। युवाओं में कौशल विकास तथा रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के दिशा में जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। ताकि प्लेसमेंट एवं रोजगार मेला के माध्यम से स्थानीय युवाओं को यहां के उद्योगों में अधिक से अधिक रोजगार मिले। इसी कड़ी में 24 जुलाई से रायगढ़ में 'रोजगार मेला सप्ताह' की शुरुआत होने जा रही है। जिसमें 700 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती की जायेगी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के पद शामिल हैं। अलग अलग श्रेणी के पदों की भर्ती पृथक दिवसों पर की जायेगी। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए इच्छुक आवेदक को 20 जुलाई तक 'रायगढ़ मितान पोर्टल' में पंजीयन करना होगा।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी रामजीत राम ने बताया कि निजी क्षेत्र की रिक्तियों की भर्ती के लिए 24 जुलाई 2023 से रोजगार मेला सप्ताह की शुरुआत होने जा रहा है। जिसका आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में किया जाएगा। जिसके लिए 22 नियोजकों से तकनीकी तथा गैर तकनीकी से संबंधित 700 से अधिक रिक्तियों की प्राप्ति हो चुकी है। प्राप्त रिक्तियों की जानकारी रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल में अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक 20 जुलाई 2023 तक रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल अथवा क्यूआर कोड स्कैन कर

अनिवार्यत: स्वयं पंजीयन करवा लें, जिससे रोजगार मेला में सुगमता पूर्वक चयन की कार्यवाही किया जा सके।

रोजगार मेले में ऑनलाइन पंजीयन के लिए रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल बनाया गया है। इसमें पंजीयन के लिए आवेदक को https://raigarhrozgarmitan.in पोर्टल में जाना होगा। वहां तीन लाइन वाले मेनू बटन पर क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। जिसमें रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया होगा। इसे क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। जिसमें आवेदक को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए इस नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। जिसे इंटर करने पर एक नया पेज ओपन होगा। यहां आवेदक के बारे में बेसिक जानकारी जैसे नाम, नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता डालनी होगी। इस पंजीयन प्रोसेस से रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल में आवेदक का अकाउंट बन जायेगा। जिसे लॉग इन करने के लिए पासवर्ड भी इसी पेज में बनाया जा सकेगा। इसके पश्चात आवेदक को जॉब कैटेगरी चुनना होगा, जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है। इसमें एक से अधिक कैटेगरी के जॉब चुने जा सकते हैं।

प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं रायगढ़ रोजगार मितान एप

जिला प्रशासन द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एप भी बनवाया गया है। इसके प्ले स्टोर में जाकर 'Raigarh Rozgar Mitan' टाइप करना होगा। अथवा https://shorturl.at/adptM इस लिंक को क्लिक करके एप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी प्राप्त कर पंजीयन किया जा सकता है। क्यूआर कोड स्कैन कर भी 'रायगढ़ रोजगार मितान पोर्टल' और एप पर पहुंच सकते हैं।

पोर्टल में रजिस्ट्रेशन पर बनेगा आवेदक का प्रोफाइल, मेले में शामिल होने बार बार नही करवाना होगा पंजीयन- युवाओं को रोजगार मेले से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने जिला प्रशासन द्वारा 'रायगढ़ रोजगार मितान' वेबपोर्टल बनाया गया है। पोर्टल में पंजीयन करने पर आवेदक का एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। जिसमें उसकी बेसिक जानकारी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दर्ज रहेगी। इसका लाभ यह होगा कि आवेदक को रोजगार मेले में शामिल होने के लिए बार बार पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं होगी। वह मेले के रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाकर अपनी जानकारी देकर सीधे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा।

वेकेंसी आने पर पंजीकृत आवेदकों को मिलेगा नोटिफिकेशन, डैशबोर्ड से भी कर सकेंगे चेक- ऑनलाइन पंजीयन का एक फायदा यह भी होगा कि रोजगार मेला आयोजन पर उसमें शामिल वेकेंसी अथवा जॉब कैटेगरी के आवेदकों को उसका नोटिफिकेशन उनके फोन पर मिलेगा। जिसमें किसी भी तरह की वेकेंसी आने पर या रोजगार मेला आयोजन या उससे संबंधित योग्यता रखने वाले अथवा उस जॉब कैटेगरी के आवेदकों को मेले के वेकेंसी के बारे में सूचना चली जायेगी। जिसकी पूरी डिटेल वे पोर्टल पर लॉगिन कर कैंडिडेट डैशबोर्ड से भी देख सकेंगे।

व्हाट्सएप से भी मिलेगी सूचना, हेल्प लाइन नंबर भी जारी- जॉब नोटिफिकेशन के लिए पंजीकृत आवेदकों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के समय कैंडिडेट को अपना यह नंबर दर्ज करना होगा। इसके साथ ही रोजगार मेले या रोजगार मितान पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 9399983879 नंबर जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण एवं खास

मछलियों के मत्स्याखेट 15 अगस्त तक प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । छत्तीसगढ़ नदी मत्स्योद्योग अधिनियम अंतर्गत वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए एवं मछलियों के संरक्षण के लिए 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। प्रदेश के सभी नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियां जिन पर सिंचाई के बड़े या छोटे तालाब व जलाशय में निर्मित किए गए केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। नियम का उल्लंघन करने व अधिनियम अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है। इसके अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

साय ने अपने पूर्व निज सहायक पर कार्यवाई के लिए संचालक को पत्र लिखा

रायपुर (आरएनएस)। सीएसआईडीसी के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने अपने पूर्व निज सहायक वीरेन्द्र जायसवाल पर कार्रवाई के लिए निगम के कार्यपालन संचालक को पत्र लिखा है।साय ने निज सहायक पर लगाए आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना पद में रहते हुए भी विभाग में दबाव पूर्व काम कराया जा रहा था। साय ने कहा कि हमने वीरेंद्र को मना कर दिया था। फिर भी वह हमारे नाम से कुछ कुछ कर रहा था। इसकी शिकायत हमने की है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का दौरा

रायपुर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक जुलाई माह में प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सडक़ों की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी साझा की जा सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण सडक़ विकास अभिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक निरंजन सुरजीत सिंह जुलाई माह में छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले का दौरा कर सडक़ों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। उनका मोबाइल नम्बर +91-9452298388, +91-6387029057 है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक योगेश प्रभुदास पाठक, राजनांदगांव और कांकेर जिले का दौरा करेंगे। उनका मोबाइल नम्बर +91-9426484305 है।

नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। बिजली विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर 18 लाख से अधिक की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर गुढिय़ारी पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अविनाश खडग़े 36 वर्ष शुक्रवारी बाजार गुढिय़ारी का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी अविनाश सिंह ठाकुर एवं गरिमा ठाकुर ने प्राथ्र्थी को बिजली विभाग में कनिष्ठ यंत्री के पद पर नौकरी लगाने एवं उसका छोटा भाई अनुराग खडग़े को भी बिजली विीाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लाख 18 हहजार 21 रुपए लेकर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर गुढिय़ारी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

मालगाड़ी की चपेट में आई बोलेरो, दो घायल

कोरबा (आरएनएस)। मानवरहित समपार क्रासिंग में एक बोलेरो मालगाड़ी के चपेट में आ गई। लगभग 100 मीटर तक बोलेरो इंजन में फंस कर घिसटते हुए चली गई। घटना में एसईसीएल का डिप्टी सर्वेयर व चालक को चोट आई है। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल की कुसमुंडा परियोजना में डिप्टी सर्वेयर के पद कुबेर कुमार सिंह पदस्थ हैं। लगभग तीन माह पहले ही दीपका परियोजना से उनका तबादला कुसमुंडा क्षेत्र में हुआ थाए इसलिए गेवरा स्थित कालोनी से कंपनी द्वारा किराए पर अधिग्रहित की गई बोलेरो क्रमांक सीजी 12 बीडी 8661 में आना-जाना करते हैं। गुरुवार को कुबेर कुमार अपने वाहन में चालक के साथ वापस लौट रहे थे। कुसमुंडा-दीपका मार्ग में कुचैना के निकट गंगानगर से होकर गुजरे रेलवे के मानवरहित समपार क्रासिंग को बोलेरो चालक पार करने की कोशिश करने लगा, तभी एनटीपीसी कोरबा संयंत्र से कोयला गेवरा जा रही मालगाड़ी पहुंच गई और बोलेरो को टक्कर मारते हुए घसीटते हुए ले गई।

घटना में बोलेरो वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन में सवार कुशवाहा व चालक को गंभीर चोटें लगी। घटना की सूचना मिलते ही कुसमुंडा पुलिस स्थल पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए कोसाबाड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के बाद मालगाड़ी के सामने से बोलेरो को हटाया गया, तब मालगाड़ी का परिचालन शुरू हो सका। बोलेरो वाहन चालक ग्राम ढुरैना निवासी बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि गंगानगर मानवरहित क्रांसिग में इसके पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं बावजूद वाहन चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चालन करते हुए ट्रेन से पहले निकलने का प्रयास करते हैं। कुछ माह पहले इसी तरह एक ठेकेदार ने अपनी कार पार करने का प्रयास किया, तब मालगाड़ी की चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। बावजूद वाहन चालक जल्द निकलने की कोशिश में जान जोखिम में डाल कर निकलने का प्रयास कर रहे है।

आरोपियों के लिए गए फिंगरप्रिंट को नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आईडेंटिफिकेशन सिस्टम में अपलोड करने पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

- देश भर में गिरफ्तार किए जा रहे आरोपियों का नफीस के जरिये तैयार किया जा रहा डेटाबेस, वारदात बाद फरार हुए आरोपियों की पहचान में मिल रही मदद

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर आज जिले के न्यायालयों में कार्यरत कोर्ट मोहरिर एवं थानों के स्टाफ के लिए गिरफ्तार आरोपियों के फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड स्लिप, सर्च स्लिप में लिये जाने तथा फिंगर प्रिंट को नफीस सिस्टम में अपलोड करने की जानकारी देने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में रेंज फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट निरीक्षक विद्या जोहर तथा रेंज फिंगरप्रिंट आफिस नफीस के सुबोध सागर द्वारा पुलिस कर्मचारियों को आरोपियों से फिंगरप्रिंट लेने और रिकॉर्ड स्लिप और सर्च स्लिप संधारण के संबंध में बारीकी से प्रशिक्षण दिया गया है।

कार्यशाला में फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट विद्या जोहर एवं नफीस कार्यालय फिंगरप्रिंट प्रशिक्षित सुबोध सागर ने बताया कि केन्द्र सरकार का प्रोजेक्ट NCRB के माध्यम से प्रत्येक थानों में विभिन्न गिरफ्तार आरोपी/ संदेही/ निगरानी/ गुंडा बदमाश/ अज्ञात मृतक एवं जेल में निरुद्ध आरोपियों का सर्च एवं रिकॉर्ड स्लिप फिंगरप्रिंट नफीस सिस्टम से ऑनलाइन फिंगरप्रिंट डेटाबेस तैयार किए जाने की कार्यवाही किया जा रहा। नफीस सिस्टम में अपलोड डाटा बेस पूरे देश के समस्त राज्यों के नफीस ऑपरेटर के माध्यम से उपयोग कर आरोपियों एवं बदमाशों की पहचान की जा रही है। आने वाले समय में नफीस सिस्टम के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य या जिलों में अपराध कारित कर फरार हुये आरोपियों की पहचान करने में पुलिस को आसानी होगी, इसकी गंभीरता को समझाते हुये एक्सपर्ट द्वारा पुलिसकर्मियों को नफीस की बारिकियां बतायी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपसंचालक अभियोजन वेद प्रकाश पटेल तथा अभियोजन कार्यालय की सहायक उपनिरीक्षक (एम) अपर्णा सिंह, जिला प्रभारी नफीस/ डीसीआरबी शाखा प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक संदीप गायकवाड, नफीस ऑपरेटर प्रभात प्रधान आरक्षक उपस्थित थे।

327 लीटर महुआ शराब के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार

- साइबर सेल, कोतवाली और पूंजीपथरा पुलिस की ज्वाइंट टीम की रेड में जब्त शराब का जखीरा

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन तथा एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन पर अवैध शराब के विरुद्ध जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई के बीच आज साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा के नेतृत्व में साइबर सेल, थाना कोतवाली और थाना पूंजीपथरा की ज्वाइंट टीम बनाकर मुखबिर सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लाखा डनसेना ढाबा के पहले चिराईपानी बस्ती जाने वाले मोड़ के पास टीम ने रेड कार्रवाई में जंगल रास्ते पैदल अवैध महुआ शराब लेकर आते आरोपी भागीरथी उरांव और मनोहर मिरी को पकड़ा गया। आरोपियों के पास रखे प्लास्टिक बोरा के थैलों से 150 नग महुआ पाउच

शराब करीब 27 लीटर कीमत रु.8,100 की जब्ती कर आरोपियों को मय शराब थाना कोतवाली लाया गया जिन पर आबकारी एक्ट की धारा 34(2),59(क) के तहत कार्यवाही किया गया है।

इसी क्रम में ज्वाइंट टीम द्वारा थाना पूंजीपथरा क्षेत्र अंतर्गत जंगल अंदर केलो नदी के किनारे कुछ व्यक्तियों के अवैध रूप से महुआ शराब बनाये जाने की सूचना पर रेड कर मौके में 7 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर अवैध शराब निर्माण के लिए बनाए भट्टी का नष्टीकरण कर शराब बनाये जाने वाले पात्र सिल्वर डेचकी, आरोपियों द्वारा तैयार किया हुआ प्लास्टिक के जरकिन में रखा करीब 300 लीटर महुआ शराब और एक बिना नंबर प्लेटिना बाइक की जब्ती कर मौके पर हिरासत में लिये गये आरोपियों को मय शराब व जप्त सामाग्रियों समेत थाना पूंजीपथरा लेकर आया गया है जिन पर आबकारी एक्ट की धारा 34(2),59(क) के तहत कार्यवाही की गई है। दोनों प्रकरणों में 9 आरोपियों से करीब 327 लीटर महुआ शराब कीमत करीब रु.38,100 एवं एक प्लेटिना मोटर सायकल और शराब बनाने के पात्र की जप्ती की गई है। शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक महेश पंडा, प्रशांत पंडा, प्रताप बेहरा, विकास प्रधान, सुरेश सिदार, नवीन शुक्ला, नरेश रजक तथा थाना पूंजीपथरा के सहायक उपनिरीक्षक विजय एक्का, प्रधान आरक्षक अमित तिर्की, आरक्षक डोमन सिदार, आदिकांत प्रधान एवं थाना कोतवाली से प्रधान आरक्षक विक्रम चौरसिया, आरक्षक जगमोहन लाल ओग्रे, संदीप मिश्रा, उत्तम सारथी की अहम भूमिका रही है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बाढ़ नियंत्रण हेतु 07768299016 पर कॉल करें

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने बरसात के मौसम में बाढ़ आपदा के मद्देनजर जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं आपदा राहत शाखा की स्थापना की है। जिले में 24 घंटे बाढ़ नियंत्रण केन्द्र कलेक्ट्रेट सारंगढ़ में है। बाढ़ कन्ट्रोल रूम का फोन नंबर 07768-299016 चालू है, जहां नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है। उन सैनिकों के मोबाइल नंबर- 9753142926, 8827148855, 9340761945, 8878257818 है। डिप्टी कलेक्टर टी.आर. महेश्वरी (मो. नं. 8103365300) को बाढ़ आपदा राहत शाखा का प्रभारी व नोडल अधिकारी बनाया गया है।

इसी प्रकार जिले के तहसील मुख्यालय कार्यालयों में भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है एवं अधिकारियों को नियंत्रण अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अनुसार एसडीएम बिलाईगढ़ डॉ स्निग्धा तिवारी का मो.नं. 7987283205, एसडीएम सारंगढ़ कार्यालय मोनिका वर्मा का मो.नं. 9329341984, सारंगढ़ तहसीलदार नेत्रप्रभा सिदार का मो.नं.8602547239, बरमकेला तहसीलदार शनि कुमार पैकरा का मो.नं. 9827464329, सरिया तहसीलदार अनुज कुमार पटेल का मो. नं. 942418600, भटगांव तहसीलदार करूणा आहेर का मो.नं. 8839876929, बिलाईगढ़ तहसीलदार नमिता मारकोले का मो.नं. 8435342893 और उप-तहसील कोसीर के नायब तहसीलदार अर्पण कुमार कुर्रे का मो. नं. 9754213789 है। जिला एवं तहसील मुख्यालयों में इन फोन और मोबाइल नंबर तथा ईमेल के माध्यम से बाढ़ एवं आपदा संबंधी सूचना दिया जा सकता है।

शिक्षा और ट्राइबल विभाग की कल ली बैठक, आज संस्थाओं के निरीक्षण में लैलूंगा पहुंचे कलेक्टर

- कलेक्टर सिन्हा ने लारीपानी कन्या आश्रम का किया निरीक्षण, व्यवस्था सुधारने अधीक्षिका को दिए निर्देश
- समय सीमा में पूरा करें निर्माण कार्य, कलेक्टर ने ठेकेदारों को दिए निर्देश
- मितान केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए लगाएं रेगुलर क्लास
- कुपोषित बच्चों को नियमित मिले पोषण आहार, उनके स्वास्थ्य की करें मॉनिटरिंग

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा विभागीय योजनाओं के प्रभावी ्रिक्रयान्वयन के लिए विभागीय समीक्षा बैठक लेने के साथ ही फील्ड निरीक्षण कर। इसी क्रम में कलेक्टर सिन्हा ने कल शिक्षा और ट्राइबल विभाग की बैठक लेकर समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए थे। जिसके बाद आज वे इन विभाग की संस्थाओं के निरीक्षण में लैलूंगा विकासखंड के सघन दौरे पर रहे। यहां उन्होंने स्कूल, छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्थाएं देखी।

कलेक्टर सिन्हा लैलूंगा ब्लॉक के लारीपानी कन्या आश्रम के निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने बच्चों की कक्षाएं और उनके कमरे देखे। बच्चों के कमरों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधीक्षिका से कहा कि पालक अपने बच्चों को यहां काफी उम्मीदों के साथ छोड़ते हैं। शासन के द्वारा सभी जरूरी संसाधन मुहैय्या कराए जा रहे हैं। भवनों की रिपेयरिंग भी की जा रही है। इसके बाद आश्रम छात्रावास में बच्चों को बेहतर सुविधाएं और रहने का अच्छा माहौल मिले यह आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तत्काल व्यवस्था सुधार लें नही तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। उन्होंने बच्चों के लिए कमरों में पर्याप्त मच्छरदानी, पंखे और खिड़कियों में नेट लगाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सिन्हा ने इसके साथ ही आश्रम के शौचालय में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था के साथ अच्छे से मरम्मत करने के लिए भी ठेकेदार को निर्देशित किया। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि निर्माण कार्य के लिए मांग अनुसार राशि दी जाती है। उससे गुणवत्तापूर्वक काम करवाएं। बच्चों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कार्यवाही होगी। इस दौरान उन्होंने वहां निवासरत बच्चियों से भी बात की और उनके पढ़ाई लिखाई और खान पान के बारे में जानकारी ली।

कलेक्टर सिन्हा ने इसके पश्चात् लैलूंगा के निर्माणाधीन पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास परिसर का भी अवलोकन किया। कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि अगस्त माह के पहले सप्ताह में कार्य पूर्ण कर लें। उन्होंने छात्राओं के लिए बने कॉमन रूम में बैठक व्यवस्था और परिसर में प्लांटेशन करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शौचालय का निर्माण अच्छे से करने के निर्देश दिए।

स्कूलों का भी किया निरीक्षण, शेष कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश- लैलूंगा दौरे पर कलेक्टर सिन्हा ने स्कूलों के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने लारीपानी के प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना से हुए काम को देखा। कलेक्टर सिन्हा ने निर्माण कार्य के पश्चात् स्कूल की बिजली फिटिंग की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्कूल में बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें खूब मन लगाकर पढऩे के लिए कहा। कलेक्टर सिन्हा ने लारीपानी में स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भवन में अब तक हुए काम के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि काम अंतिम चरण में चल रहा है, फ्लोर का काम बाकी है। कलेक्टर सिन्हा ने सभी कार्य 15 अगस्त के पहले पूरा करने के निर्देश दिए।

कुपोषित बच्चों की मॉनिटरिंग करें सुपरवाइजर, जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी जरूरी- कलेक्टर सिन्हा ने लारीपानी के आंगनबाड़ी केंद्र का भी मुआयना किया। यहां दर्ज बच्चे तथा उनमें से गंभीर कुपोषित बच्चों और उनको दिए जा रहे पोषक आहार के बारे में जानकारी ली। गंभीर कुपोषित बच्चों के नियमित रूप से आंगनबाड़ी नहीं आने को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए गहरी नाराजगी जताई। उक्त बच्चों के पालकों को समझाइश देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ऐसे बच्चों को पोषण आहार के साथ अंडा प्रदान करने तथा घर भेंट कर उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने गांव के सरपंच से कहा कि कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए विभागीय प्रयासों के साथ जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी बेहद अहम है।

मितान केंद्र में प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक्सपट्र्स से करवाएं रेगुलर क्लास- कलेक्टर सिन्हा ने लैलूंगा के मितान केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। बताया गया कि यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, मंथली मैगजीन की व्यवस्था है। कंप्यूटर विथ इंटरनेट और फोटोकॉपी मशीन भी यहां मौजूद है। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि इससे क्षेत्र के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का अच्छा माहौल मिलेगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480